प्रेस विज्ञप्ति 18.08.2019

थाना सरायलखन्सी क्षेत्रार्न्तगत पुलिस मुठभेड़ में 02 शातिर ईनामिया बदमाश(घायल) गिरफ्तार, कब्जे से अवैध पिस्टल, तमंचा व कारतूस सहित लूट की ब्रेजा कार आदि बरामद–

जनपद मऊ पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग आर्य के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17/18.08.19 की रात्रि समय करीब 01.30 बजे देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना सरायलखन्सी व स्वाट टीम पुलिस को संयुक्त अभियान में अपराधियो से मुठभेड़ मे शातिर इनामिया अपराधी विक्रान्त यादव पुत्र बालकिशुन यादव निवास अब्दोपुर थाना चिरैयाकोट, अमित कुमार यादव पुत्र सन्ता यादव निवासी हाफीजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को लूट की ब्रेजा कार, लूट का नगद 52645/– रूपया एवं अवैध पिस्टल एवं तमंचा के साथ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

विगत रात्रि मे चेकिंग के दौरान स्वाट टीम व चिरैयाकोट द्वारा सरसेना में संदिग्ध वाहनो की चेकिंग की जा रही थी । जहाँ एक सफेद ब्रेजा कार पुलिस के सिगंल को तोड़ कर पुलिस पार्टी पर फायर कर भागने लगा जिसका पीछा उपरोक्त पुलिस बल द्वारा किया जाने लगा जो काझा वनदेवी रोड की ओर भाग रहे थे वायरलेश की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सरयलखन्सी/दक्षिणटोला जनपद मऊ अपने हमराही पुलिस बल के साथ वनदेवी मन्दिर के पूर्व स्कूल मोड पर गाढाबन्दी किये, किन्तु बदमाश पुलिस को चकमा देकर वनदेवी मन्दिर के परिसर के अन्दर कि ओर भागने लगे जो जंगल के रास्ते गाजीपुर को जाता है। अपराधियो की घेराबन्दी के लिए सरायलखन्सी व दक्षिणटोला की पुलिस वनदेवी के पीछे रोड की तरफ से आकर घेर लिया, जबकी पीछे से स्वाट व चिरैयाकोट की पुलिस लगी थी जंगल के बाहर दोनो तरफ से घिरे होने के कारण कार मे बैठे चारो अपराधी वाहन को फसा देखकर अपनी गाड़ी से उतर कर पुलिस पार्टीयो पर जान मारने की नियत से फायर करने लगे, पुलिस द्वारा अपने प्रशिक्षण मे सिखलाये गये तरीके से अपने को बचाते हुए अपराधियो को समर्पण के लिए चेतावनी दिये किन्तु चेतावनी को अनसुनी कर पुलिस पार्टी पर बदामाश फायर करते रहे । उसमे से बदमाशो की एक गोली प्रभारी निरीक्षक सरायलखन्सी के बुल्ट प्रुफ जैकेट मे सीने पर लगी जो बाल बाल बचे तथा बदमाशो की एक गोली स्वाट टीम के सुमो गाड़ी (यूपी 32 बीजी 7462) के बाये गेट पर लगा जिस से शीशा क्षतिग्रस्त हो गया तथा पुलिस के अधिकारी बाल बाल बचे, आत्मरक्षार्थ व गिरफ्तारी के मकशद से पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया तब बदमाशो की ओर से फायर बन्द हुआ, ड्रेगन टार्च व वाहन की रोशनी में हिकमत अमली से सर्च किया गया तो दो बदमाश घायल अवस्था में पड़े मिले जो क्रमशः विक्रान्त यादव उपरोक्त जिसके पास जमीन पर पडी एक अदद पिस्टल 32 बोर व चार अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ, जिसके दाहिने पैर के घुटने पर पुलिस की गोली से घायल होना पाया गया, जब कि दूसरे बदमाश अमित कुमार यादव उपरोक्त के बाये पैर के जंघे पर पुलिस की गोली से घायल होना पाया गया जब कि दो बदमाश जंगल का फायदा उठाकर भाग गये। पूछताछ मे विक्रान्त यादव ने बताया की वह अपने साथियो अमित यादव उपरोक्त तथा अभिमन्यु यादव उर्फ मोनू पुत्र विश्राम यादव निवासी अजगरा थाना जीयनपुर, जनपद आमगढ़ तथा ब्रिजेश यादव पुत्र कन्हैया यादव निवासी भेडियाधर, थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के साथ मिलकर जुलाई मे थाना भीमपुरा जनपद बलिया से यह ब्रेजा कार जिसका नम्बर बदल दिया हूँ लूटा था तथा यह भी बताया की जून माह मे रैकावरेडीह तथा 01 अगस्त 2019 को पिपरीडीह मे भी प्राईवेट फाईनेन्स कम्पनी की लूट मे मै मेरे साथी अमित यादव तथा अभिमन्यु यादव उर्फ मोनु यादव उपरोक्त तथा अपना चौथा अन्य साथी अमरेश पुत्र रामनरेश निवासी कन्धेरी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ने मिलकर लूट किया था व घटना मे मोबाईल फोन व टैबलेट को पहचान के डर से हम लोगो ने तमशा नदी मे पुल से पानी मे फेंक दिया था। उल्लेखनीय है की अन्तर जनपदीय गिरोह डी–09 गैंग ने पहले विक्रान्त यादव एक सदस्य के रूप मे था किन्तु इसके लीडर सुजीत सिंह एवं धर्मेन्द्र सिंह के मार जाने के बाद यह स्वयं बागडोर ले लिया है। अपने तथा अपने गैगं के आर्थिक लाभ के लिए कई जनपदो आजमगढ, जौनपुर, मऊ, बलिया, गाजीपुर, भदौही, वाराणासी, गोरखपुर आदि मे गुण्डा वसुली, लूट, हत्या जैसे जघन्य अपराध लगातार कर रहा है । यह इस जनपद के साथ साथ जनपद बलिया से भी वांछित है तथा जनपद बलिया से 50000/रूपया का ईनाम घोषित है, जबकि जनपद मऊ से दोनों के ऊपर 25000/रूपये का

MEDIA CELL MAU

ईनाम घोषित है तथा इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरूध्द मु0अ0सं0 373,374,375/19 धारा 307,427 भादवि व 3/25/27 आयुध्द अधिनिय का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. विक्रान्त यादव पुत्र बालकिशुन यादव निवास अब्दोपुर थाना चिरैयाकोट मऊ।
2. अमित कुमार यादव पुत्र सन्ता यादव निवासी हाफीजपुर थाना चिरैयाकोट मऊ।

बरामदगी–

1. लूट की ब्रेजा कार बरंग सफेद(बिना नम्बर)।
2. पिस्टल व 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर।
3. तमंचा व एक खोखा तथा 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
4. पिपरीडीह लूट की 52645 रूपये नगद।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास–

1. विक्रान्त यादव के ऊपर कुल 35 अभियोग पंजीकृत है।
2. अमित यादव के ऊपर कुल 13 अभियोग पंजीकृत है।

वांछित अभियुक्तगण–

1. अभिमन्यु यादव उर्फ मोनू यादव निवासी अजगरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
2. बृजेश यादव पुत्र कन्हैया यादव निवासी भेडियाधर थाना चिरैयाकोट मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक डी0के0 श्रीवास्तव (थाना सरायलखन्सी) मय हमराह, प्रभारी निरीक्षक अविनाश कुमार सिंह (स्वाट टीम) मय हमराह, निरीक्षक राजेश प्रसाद यादव(स्वाट टीम), उ0नि0 अमित मिश्रा (स्वाट टीम), थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह (थाना दक्षिणटोला) मय हमराह, थानाध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी (थाना चिरैयाकोट) मय हमराह, उ0नि0 सविन्द्र राय (चौकी प्रभारी पिपरीडीह) मय हमराह।

उक्त बरामद/गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25000/रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत चोरी की मोटरसाइकिल व नाजायज चाकू के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। थाना घोसी पुलिस द्वारा दिनांक 17.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर जामडीह मोड़ से चन्दन सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी माधवपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स (मु0अ0सं0 199/19 धारा 379,411 भादवि से सम्बन्धित) व नाजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0सं0 334/19 धारा 4/25 आयुध्द अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना चिरैयाकोट क्षेत्रान्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान रायपुर पुलिया से दुर्गविजय यादव पुत्र स्व0 सुखराम यादव निवासी सरौदा थाना चिरैयाकोट मऊ के कब्जे 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0सं0 169/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

MEDIA CELL MAU

थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

मऊ। थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भातकोल मोड़ से मु0अ0सं0 350/19 धारा 498ए,323,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त पंकज चौहान पुत्र रामकेवल चौहान निवासी मीरपुर रहीमाबाद थाना मुहम्मदाबाद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 29 व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 18.08.19 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा प्रेमचन्द्र निवासी फतेहपुर, लालजी, दिनेश, अरविन्द निवासीगण मनाजीत थाना चिरैयाकोट, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वरा रामप्रवेश निवासी सियरही, अखिलेश, बृजेश निवासीगण पाउस थाना दोहरीघाट, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा मु0 स्यैब, अब्दुल रहमान, उमर फारूख, मु0 आरून, मु0 शलीम, हिमान्शु, अभिनव, नवलेश, तरवी राय निवासीगण रजपुरा थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभिनव सिंह नई बस्ती थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, बैबेश्वर चौबे निवासी राजे सुल्तानपुर जनपद अम्बेड़करनगर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा हदीश, अब्दुल कुदुस निवासीगण मर्यादपुर, अरविन्द निवासी बदनपुर थाना मधुबन, थाना घोसी पुलिस द्वारा सुरेश, डब्लू, सोनू, ऊषा निवासीगण सबरहद बिरैचा थाना घोसी, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा राजाराम, दहिचन्द्र, बुधिराम, घूराराम निवासीगण घुटमा थाना रानीपुर मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऐच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 10 मामलों का हुआ निस्तारण–

मऊ। महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक आज दिनांक 18.08.19 को पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग आर्य के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्रीमती श्वेता आशुतोष की पर्यवेक्षण में पुलिस लाइन में हुई। जिसमें कुल 19 पारिवारिक मामले आए, जिसमें ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से 10 मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें तीन दंपति ने अपना–अपना मतभेद भुलाकर साथ–साथ रहने को तैयार हो गए। शेष मामलो में बैठक की अगली तिथि एक सितंबर 2019 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया।

ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से शबनम और इशरार,रंजू और मिथुन तथा कंचन और राजू ने अपना मतभेद भुलाकर साथ–साथ रहने को तैयार हो गए। वही आरती और मुकेश के मामले में मुकेश ने आरती को 85 हजार रुपया भरण पोषण दिया तथा फरहाना और शमीम के मामले में शमीम ने फरहाना को एक लाख रुपया भरण पोषण के रुप में आपसी सहमति से दिया। जिसके चलते उनका मामला निस्तारित कर दिया गया। रामअशीष चौहान और प्रीति चौहान के मामले में वादी के अनुरोध पर तथा गुडिया और राजू का मामला कोर्ट में लंबित होने के चलते और गीता और नारद तथा पूनम और देवचंद के मामले में पक्षकारों के लगातार अनुपस्थिति के चलते और अश्मिता और निरंजन के मामले में पक्षकार दूसरे जनपद के होने के चलते पत्रावली निस्तारित कर दी गई। इस दौरान तीन मामलों में पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। पांच मामलों में एक–एक पक्ष तथा एक मामले में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते उनके मामलों में एक सितंबर 2019 की तिथि नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यगण सर्वेश दूबे,अर्चना उपाध्याय, विनोद कुमार सिंह, मौलवी अरसद, डा. एमए खान, रत्नेश पांडेय महिला आरक्षी इशरावती यादव ने अपना योगदान दिया। इस मौके पर काफी संख्या में पक्षकार और उनके परिजन उपस्थित रहे।

MEDIA CELL MAU